उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-23/2021-22

इस्लाम अंसारी

बनाम्

नूर मोहम्मद

—: आदेश :—

दिनांक	
8/06/2	वार–वार पुकार पर उत्तरवादी के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलकर्त्ता को एक पक्षीय सुना। अभिलेखवद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया इस्लाम अंसारी, पे0–स्व0 कारू मियाँ, सा0–कुमरडीह, थाना–वलवड्डा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–231/16–17 के आदेश दिनांक–05.03.2020 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–231/16–17 के आदेश दिनांक–05.03.2020 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कुमरडीह नं0–338 जमावंदी सं0–24 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में नेआमत मियाँ, पे0–मकरू मियाँ वो मो0 कपूरन जोजे–कट्टु मियाँ वो मो0 गोरा जोजे– सिधो मियाँ के नाम से दर्ज है। जमावंदी रैयत मो0 कपूरन वो मो0 गोरा की मृत्यु नावल्द हो गयी थी। इसलिए उनदोनों की हिस्से की जमीन जमावंदी रैयत निआमत मियाँ के हक एवं दखल में आया। चूँकि पक्षकार मुस्लिम है और वे मुस्लिम कानून के द्वारा शासित होते है और मुस्लिम कानून के अनुसार मो0 कपूरन एवं मो0 गोरा की मृत्यु के बाद उनकी हिस्से की जमीन जमावंदी रैयत निआमत को प्राप्त हुआ है और अपीलकर्त्ता गत जमावंदी रैयत निआमत मियाँ के परपोता है। जबकि उत्तरवादी नूर मोहम्मद बाहरी व्यक्ति है। उक्त जमावंदी की जमीन से उत्तरवादी कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने उत्तरवादी को जमावंदी सं0–24 के अन्तर्गत दाग नं0–843 एवं 244 की जमीन से उच्छेद नहीं किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पारित आदेश को निरस्त

करते हुए उत्तरवादी के विरूद्ध आदेश पारित करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन के साथ अपील अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दिया गया है। अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी के द्वारा न तो अपना लिखित बहस दाखिल किया गया है और न ही निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए है। लेकिन अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कुमरडीह नं0–338 जमावंदी सं0–24 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में नेआमत मियाँ वल्द मुकरू मियाँ वो मो0 कपूरन जौजे शतु मियाँ वो मो0 गोरा जौजे शीधू मियाँ के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी के द्वारा निम्न न्यायालय में सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी(मु0), दुमका के न्यायालय के विविध वाद संख्या–19/2010 के आदेश दिनांक–24.02.2012 के आदेश की प्रति दाखिल किया गया है। उक्त वाद के पारित आदेश में उत्तरवादी को जमाबंदी रैयत मो0 कपूरन के वंशज बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी पक्ष का भी अपील वादगत जमीन पर स्वत्व निहिन्त है और मामला स्वत्व निर्धारण से संबंधित है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–231/16–17 में दिनांक–05.03.2020 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

08/06/

उपायुक्त,
गोड्डा।

08/06/

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.21 16:35:53 +05:30
Location: 172.17.208.1